

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 550
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 7/5/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री देवाराम पुत्र नवलाराम जाति
जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16 जाति
जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 138/18

आदेश

मौजा धतरवालों का नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 342/400 रकबा 04.00 बीघा व मौजा रामसरिया के खेत खसरा नम्बर 611/395 रकबा 12.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पड़सियों को नोटिस देने के बाद, प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


सहायक सचिव (SDO)
(हिताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 7/5/2018

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 551-55
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र नवलाराम।
4. विप्रार्थी श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।


सहायक सचिव (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु